संख्या- 214 /2024 / 1191 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2024

विषय:- राज्य संग्रहालय लखनऊ में अत्याधुनिक तकनीक के अग्निशमन संयंत्र हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1462/उ0प्र0सं0नि0-5(41)/2016-17 दिनांक 28 मार्च, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार राज्य संग्रहालय लखनऊ में अत्याधुनिक तकनीक के अग्निशमन संयंत्र की आपूर्ति एवं स्थापना कार्य हेतु अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि रू0 42.61 लाख (रूपये बयालीस लाख इकसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश संख्या- 118/2022/494/चार-2022 दिनांक 31 मार्च, 2022, शासनादेश संख्या- 84/2021/749/चार-2021 दिनांक 26 मार्च, 2021 तथा शासनादेश संख्या- 59/2020/2926/चार-2019 दिनांक 20 फरवरी, 2020 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/ योजनाओं पर किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, संग्रहालय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय का होगा।

(5) उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि परियोजनान्तर्गत लगाये गये समस्त उपकरणों का सफल परीक्षण की संतुष्टि संबंधी प्रमाण पत्र एवं अनुमति निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के स्तर से प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्यदायी संस्था द्वारा संबंधित फर्म को भुगतान किया जायेगा।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, संग्रहालय निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय-07-राज्य संग्रहालय लखनऊ में अत्याधुनिक तकनीक के अग्निशमन संयंत्र की स्थापना-26 मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 214 /2024 / 1191 (1) /चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 लखनऊ (यूपीसिडको)।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।